नगर विकास एवं आवास विभाग

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम एवं सेवाएं	योजना/ कार्यक्रम एवं सेवाएं के तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता है।	स्वीकृति प्रदान करने वाले पदाधिकारी
1.	मुख्यमंत्री नगर विकास योजना	योजना वर्ष 2017 से बंद हो चुकी है।	—	—
2.	राज्य योजना के अंतर्गत	नोटः—राज्य योजना अन्तर्गत कार्यान्वित कार्यक्रमों/योजनाओं का उल्लेख क्र सं0— 17 से 21 में कर दिया गया है।	—	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत/नगर आयुक्त, नगर निगम
3.	अटल मिशन फॉर अर्बन रिज्यूविनेशन एण्ड ट्रांसफॉरमेंशन (AMRUT)	स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज, जलापूर्ति एवं हरितक्षेत्र विकास का कार्य संपादित किया जाता है।	पात्रता— **यह एक खुली योजना है और इस योजना के लिए किसी पात्रता की आवश्यकता नहीं है।** प्रक्रिया— आफलाईन (**यह एक खुली योजना है और इस योजना के लिए किसी पात्रता की आवश्यकता नहीं है।**	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत/नगर आयुक्त, नगर निगम
4.	बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007	बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 313 एवं 315 के प्रावधानों का उल्लंघन कर वगैर नक्सा पारित कराए/पारित नक्शा से विपरीत अनाधिकृत उपयोग/पार्किंग किया गया है।/ किया जा रहा है अवैध माना जाएगा।	पात्रता— राज्य के सभी नागरिक अर्थात आमजन प्रक्रिया— बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 काम करती है।	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत/नगर आयुक्त, नगर निगम
5.	बिहार शहरी आयोजना	इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य के शहरी क्षेत्रों एवं इसके निकटवत्ती शहरी क्षमता वाले ग्रामीण क्षेत्रों का विकास	पात्रता—यह स्मार्ट सिटी प्लानिंग से संबंधित है जिसमें सभी	कार्यपालक पदाधिकारी/

	एवं विकास अधिनियम	योजना तैयार किया जाता है। बिहार राज्य में शहरी क्षेत्रों एवं शहरीकरण की क्षमताधारित क्षेत्रों की योजनाबद्ध अभिवृद्धि एवं विकास तथा भूमि उपयोग के विनियमन और सम्बर्द्धन के लिए बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 अधिसूचित है।/ उक्त अधिनियम में भूमि एकत्रीकरण के आधार पर आधारभूत संरचनाओं के विकास तथा लोकपयोगी सुविधाओं यथा–सड़क, पार्क, खेल का मैदान, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास आदि की व्यवस्था किए जाने से संबंधित प्रावधान किया गया है।	व्यक्तियों को सुविधा देना है। प्रक्रिया– इस योजना के अंतर्गत आमजन को लाभ देना है।	नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम, (नगर आयुक्त)
6.	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजनाअंतर्गत शौचालय निर्माण, ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के तहत प्रमुख परियोजनाए– ODF मानदंड के तहत समुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों के नियमित इस्तेमाल के लिए उनकी कार्यात्मकता और उचित रख–रखाव को सुनिश्चित करते हुए इनके संचालन व रख–रखाव पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये। ODF + मानदंड के तहत व्यक्ति को खुले में शौच या मूत्रत्याग नहीं करना चाहिए। सभी सामुदायिक और सार्वजनिक प्रबंधन शौचालयों का रख–रखाव और साफ–सफाई की जानी चाहिए। ODF ++ मानदंड के तहत शौचालयों में मल और कीचड़ का सुरक्षित निस्तारण करने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाता है कि ऐसा कोई भी अशोधित कीचड़ खुले नालों, जल निकायों या खुले में न बहा दिया जाए।	पात्रता–जिनके पास अपना शौचालय नहीं है, उसे लाभ दिया जाता है तथा शहर के कचरे का निपटारा होता है। प्रक्रिया– ऑनलाईन (**वहाँ पर होमपेज पर "सिटीजन कॉर्नर" पर जाना है और** "Application form for IHHL" **ऑप्शन पर क्लिक करना है**. उसके बाद नए पेज पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल नंबर पासवर्ड और कैप्चा कोड डायकर साइन इन बटन पर क्लिक कर देना है.)	कार्यपालक पदाधिकारी/नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम, (नगर आयुक्त)
7.	Integrated Housing and Slum Development	समेकित आवास एवं महिन बस्ती विकास कार्यक्रम दिनांक 31.03.2017 से सबके आवास में शामिल हो गया है। (यह योजना सबके लिए आवास योजना में शामिल कर दिया	–	

	Programme	गया है।)		
8.	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)	इस योजना अंतर्गत शहरी गरीब फूटपाथ विक्रेताओं हेतु स्ट्रीट वेंडिंग जोन का निर्माण, जीविका एवं कौशल प्रशिक्षण तथा जिविकोपार्जन हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। मिशन निम्नलिखित उपयोगिताओं का समर्थन करेगा। प्रत्येक प्रक्रिया में शहरी गरीबों एवं उनकी संस्थाओं की स्वामित्व तथा उपयोगी सहभागिता। कार्यक्रमों के निर्माण एवं कार्यान्वयन सहित संस्था निर्माण एवं क्षमता संबंर्धन में पारदर्शिता। सरकारी पदाधिकारियों एवं समुदायों की जवाबदेही। उद्योगों एवं अन्य हितधारकों के साथ भागीदारी। समुदायिक स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, स्वयं सहायता और पारस्परिक सहयोग।	• पात्रता–संबंधित शहरी फुटपाथ विक्रेता को स्ट्रीट भेण्डर योजना का लाभ दिया जाता है। जिन लोगों के पास BPL **राशन कार्ड** है उन्हें भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। प्रक्रिया– ऑनलाईन (**aajeevika.gov.in**)	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत/नगर आयुक्त, नगर निगम
9.	राजीव आवास योजना	2015 में एच0एफ0ए0 योजना के प्रारंभ होने पर इस योजना को एच0एफ0ए0 में समाहित कर दिया गया है। राजीव आवास योजना में समावेशी और साम्यिक शहरों से युक्त झुग्गी मुक्त भारत की परिकल्पना की गई है जिसमें प्रत्येक नागरिक को बुनियादी नागरिक अवसंरचना और सामाजिक सुविधाओं तथा उचित आश्रय उपलब्ध हो। निम्नलिखित पर फोकस करते हुए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को एक निश्चित ढंग से झुग्गियों की समस्या से निपटने के लिए प्रोत्साहित करना है। सभी मौजूदा झुग्गियों, अधिसूचित अथवा गैर अधिसूचित (मान्यता प्राप्त और पहचान की गईं सहित), को औपचारिक व्यवस्था के अधीन लाना और उनके लिए बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करना जो कि शेष शहर/शहरी क्षेत्र के लिए उपलब्ध हैं। शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास स्टॉक के लिए योजनाएं बनाकर झुग्यिों के सृजन के पीछे मौजूद औपचारिक प्राणी की विफलताओं का निवारण और	पात्रता–योजना के अंतर्गत सभी झुग्गी बस्तियों के लिए लागू है। प्रक्रिया– ऑनलाइन फॉर्म: ऑनलाइन आवेदन @ pmaymis.gov.in	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत/नगर आयुक्त, नगर निगम

		इसमें सुविधा के लिए अपेक्षित निर्णायक नितिगत बदलाव करना ।		
10.	सबके लिए आवास	आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु बी0एल0सी0 घटक में 2.00 लाख रू0 (केन्द्रांथ– 1.50 लाख + राज्यांथ– 0.50 लाख) का सहायता अनुदान मिशन 30 वर्गमीटर तक के घरो के निर्माण का समर्थन करता है। एम.टी.आर. कारपेट एरिया (एम.ई.डी.टी.ई., पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तैयार किया गया मॉडल ले–आउट प्लान) बुनियादी नागरिक बुनियादी ढांचे के साथ और यह राष्ट्रीय भवन कोड के मानकों के अनुरूप है। एस.यू.डी.ए. राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी है, यह नियमित प्रगति की निगरानी करता है और क्षमता निर्माण उपायों के माध्यम से यू.एल.बी को सहायता प्रदान करता है जिससे प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है। नगर निगम इंजीनियरिग निदेशालय आवास इकाइयों और बुनियादी ढांचे के निर्माण के संबंध में तकनीकी सहायता और पर्यवेक्षण प्रदान करता है। राज्य स्तरीय तकनीकी सेल में दस पेशेवर शामिल हैं।	पात्रता–लाभार्थियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। लाभार्थियों के पास भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। लाभार्थियों के पास उस भूमि का स्वामित्व होना चाहिए, जहां निर्माण प्रस्तावित है। प्रक्रिया– **ऑनलाइन** फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप **पीएम आवास योजना** की आधिकारिक वेबसाइट http://pmaymis.gov.in/ पर या भारत सर्कार के आधिकारिक वेबपोर्टल पर जा सकते हैं। वेबसाइट पर आपको “Citizen Assessment” या “Beneficiary Assessment” के लिए विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक **करें**।	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद / नगर पंचायत / नगर आयुक्त, नगर निगम
11.	भवन निर्माण उपविधि	राज्य के नगरपालिका क्षेत्रों एवं आयोजना क्षेत्रों में भवनों में नक्शा की स्वीकृति बिहार भवन उपविधि में किये गये प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है।	पात्रता– **आवेदन करने वाले व्यक्ति को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निवासी होना चाहिए।** प्रक्रिया– ऑनलाईन (http://bcd.bih.nic.in)	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद / नगर पंचायत / नगर आयुक्त, नगर निगम
12.	बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम	इसके द्वारा अपार्टमेंट खरीदने, बेचने वाले (डेवलपर) के बीच एकरारनामा, फ्लैट का हस्तान्तरण किया जाता है। अपार्टमेंट मालिकों के द्वारा भवनों का रख–रखाव किया जाता है। अगर अपार्टमेंट स्वामियों की संस्था की ओर से प्रबंधक या बोर्ड, उचित मामलों में, व्यथित अपार्टमेंट स्वामी हर्जाना के लिये देय राशि लेने या आगमन सहायता प्राप्त	पात्रता–प्रत्येक प्रवर्त्तक, बिल्डर या विकासकर्त्ता नियमावली में विनिर्यारित तरीका से उस पदाधिकारी के साथ जिसे नियमावली में इस हेतु प्राधिकृत किया जाये, अपना निबंधन करायेगा। प्रक्रिया– अमीन के मापी प्रतिवेदन के आधार पर, अंचल	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद / नगर पंचायत / नगर आयुक्त, नगर निगम

		करने या दोनों में असमर्थ हो जाता है तो अपार्टमेंट स्वामियों की संस्था की ओर से प्रबंधक या बोर्ड की ओर से सक्षम पदाधिकारी को आवेदन–पत्र देगा जो इस नियमावली में निर्धारित तरीका से हर्जाना के लिये देय राशि की वसूली करायेगा। आपार्टमेंट स्वामियों की संस्था की ओर से या प्रबंधक या बोर्ड सक्षम पदाधिकारी को वैसे अपार्टमेंट स्वामी जो 6 माह से अधिक समय से प्रबंधक या बोर्ड के प्रयत्नों के बावजूद सार्वजनिक व्यय और सेवा शुल्क में हिस्सेदारी देना अस्वीकार करते है से सार्वजनिक व्यय और सेवा शुल्क को जमा कराने के लिये आवेदन–पत्र देगा जो इस नियमावली में निर्धारित तरीका से वैसे अपार्टमेंट स्वामी से देय राशि की वसूली करायेगा।	अधिकारी जमीन के स्वामित्व के संबंध में कोई. आदेश पारित नहीं करेगें	
13.	कौशल विकास	योजना अन्तर्गत शहरी गरीवों को विभिन्न प्रकार के कौशल प्रदान कर उन्हें प्रमाणीकरण के पश्चात रोजगार से जोड़ा जाना है। वर्त्तमान में यह घटक मार्च–2023 से स्थगित किया गया है।	पात्रता–शहरी गरीब बेरोजगार युवक युवतियों को कौशल विकास अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रक्रिया– यह प्रशिक्षण नागरिकों को निशुल्क प्रदान किया जाएगा। इच्छुक लाभार्थी योजना की आधिकारिक वेबसाइट **pmkvyofficial.org** पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद / नगर पंचायत / नगर आयुक्त, नगर निगम
14.	रैन बसेरा प्रबंधन	राज्य में 108 आश्रय स्थलों का संचालन 68 निकायों में आश्रय विहीनों को आश्रय प्रदान करने हेतु किया जा रहा है। इन आश्रय स्थलों का प्रबंधन स्वयं सहायता समूहों को क्षेत्र संघों के माध्यम से किया जा रहा है।	पात्रता–शहरी क्षेत्रों के वैसे व्यक्ति / परिवार जिसे आवासहीन उन्हें रैन बसेरा का लाभ दिया जाता है। प्रक्रिया–इसमें सरकार सभी आश्रृतों को लाभ मुहैया कराती है।	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद / नगर पंचायत / नगर आयुक्त, नगर निगम

15.	स्ट्रीट भेण्डरों विषयक मामले	राज्य में अवस्थित लगभग–1.86 लाख वेन्डर का सर्वे कर उन्हें वेंडिग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही उन्हें PMSVA Nidhi योजना अन्तर्गत ऋण भी मुहैया कराया जा रहा है।	पात्रता–सवंधित शहरी फुटपाथ विक्रेता को स्ट्रीट भेण्डर योजना का लाभ दिया जाता है।	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद / नगर पंचायत / नगर आयुक्त, नगर निगम
16.	बिहार राज्य आवास बोर्ड	इसमें सभी आर्थिक वर्ग के लोगों को आवासीय भूमि / प्लॉट / मकान उपलब्ध कराया जाता है। ताकि आवास की समस्या ना हो।	पात्रता–इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, न्युज पेपर के द्वारा आवासीय भूखंड / प्लॉट कराने हेतु विज्ञापन दिया जाता है। विज्ञापन के अनुरूप प्राप्त आवेदन की जॉच की जाती है। तदुनुरूप सबसे अधिक बोली वाले के नाम से आवंटन आदेश दिया जाता है। आवंटन के बाद भूगतान की प्रक्रिया होती है। एकरारनामा होता है जिसकी अनुमति बोर्ड देती है, पुरा भूगतान होने के बाद लीज–होल्ड की प्रक्रिया होती है, पुनः उसके बाद आवेदक के आवेदन पर फ्री–होल्ड की अंतिम कार्रवाई की जाती है।	1.कार्यपालक अभियंता 2.प्रमंडलीय पदाधिकारी 3.प्रबंध निदेशक,बिहार राज्य आवास बोर्ड
17.	नगर निगम क्षेत्र में पेयजल, शौचालय एवं गली नाली योजनाओं से संबंधित मामले	नगर निगमों में पेयजल एवं सड़क तथा नाली का निर्माण कराया जाता है।	पात्रता–इसके अंतर्गत संबंधित नगर निकाय में वासित नागरिकों को पेयजल एवं नाली / गली / सड़क की सुविधा मिलती है। प्रक्रिया–	नगर मुख्य अभियंता
18.	नगर परिषद / नगर पंचायत क्षेत्र में पेयजल, शौचालय एवं गली–नाली योजनाओं से संबंधित मामले	नगर निगमों में पेयजल एवं सड़क तथा नाली का निर्माण कराया जाता है।	पात्रता–इसके अंतर्गत संबंधित नगर निकाय में वासित नागरिकों को पेयजल एवं नाली / गली / सड़क की सुविधा मिलती है। प्रक्रिया– ऑफलाईन एवं ऑनलाईन दोनों माध्यमों के द्वारा की जाती है।	संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी

19.	नगर परिषद /नगर पंचायत में जन सुविधाओंः–अतिक्रमण, चारा–प्रबंधन, पेयजल की सुविधा, स्ट्रीट लाईट, साफ–सफाई	नगर परिषद एवं नगर पंचायतों में पेयजल सुविधा /स्ट्रीट लाईट का कार्यान्वयन एवं साफ–सफाई कार्य कराया जाता है।	पात्रता–इसके अंतर्गत संबंधित नगर निकाय में वासित नागरिकों को पेयजल एवं नाली/गली/सड़क की सुविधा मिलती है। प्रक्रिया– ऑफलाईन एवं ऑनलाईन दोनों माध्यमों के द्वारा की जाती है।	संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी
20.	पटना नगर निगम के अंतर्गत जन सुविधाओंः–अतिक्रमण, चारा–प्रबंधन, पेयजल की सुविधा, स्ट्रीट लाईट, साफ–सफाई	नगर परिषद एवं नगर पंचायतों में पेयजल सुविधा /स्ट्रीट लाईट का कार्यान्वयन एवं साफ–सफाई कार्य कराया जाता है।	पात्रता–इसके अंतर्गत संबंधित नगर निकाय में वासित नागरिकों को पेयजल एवं नाली/गली/सड़क की सुविधा मिलती है। प्रक्रिया– ऑफलाईन एवं ऑनलाईन दोनों माध्यमों के द्वारा की जाती है। ऑनलाईन आवेदन करने के लिए **pmc.bih.nic.in** पर की जा सकती है।	संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी
21.	पटना नगर निगम को छोड़कर अन्य नगर निगमों के जन सुविधाओंः– अतिक्रमण, चारा–प्रबंधन, पेयजल की सुविधा, स्ट्रीट लाईट, साफ–सफाई	नगर परिषद एवं नगर पंचायतों में पेयजल सुविधा /स्ट्रीट लाईट का कार्यान्वयन एवं साफ–सफाई कार्य कराया जाता है।	पात्रता–इसके अंतर्गत संबंधित नगर निकाय में वासित नागरिकों को पेयजल एवं नाली/गली/सड़क की सुविधा मिलती है। प्रक्रिया– ऑफलाईन एवं ऑनलाईन दोनों माध्यमों के द्वारा की जाती है। ऑनलाईन आवेदन करने के लिए **pmc.bih.nic.in** पर की जा सकती है।	संबंधित नगर आयुक्त
22.	मेट्रो रेल परियोजना	शहरी परिवहन की बेहतर सुविधा मुहैया कराया जाना है।	राज्य के सभी नागरिक अर्थात आमजन	सहायत निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग
23.	नमामि गंगे	योजनान्तर्गत गंगा नहीं को प्रदूषण से मुक्त कराने हेतु गंगा नदी एवं गंगा की सहायक नदियों के तट पर	राज्य के सभी नागरिक अर्थात आमजन	सहायत निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग

		अवस्थित शहरों के सिवरेज का शोधन किया जाता है।		
24.	ADB संपोषित योजनाएँ	योजना समाप्त	–	सहायत निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग
25.	स्मार्ट सिटी मिशन	योजनान्तर्गत चयनित शहरों का आर्थिक विकास कर बेहतर स्थानीय क्षेत्र विकास और प्रौघोगिकी का उपयोग करके शहर वासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जाना है।	राज्य के सभी नागरिक अर्थात आमजन	सहायत निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग
26.	नगर एवं क्षेत्रीय निवेशन संगठन	नगर नियोजन का उद्देश्य क्या है? नगर नियोजन एक सतत् प्रकिया है जिसके द्वारा क्षेत्रीय, नगरीय एवं स्थानीय संदर्भ में विकास के दबाव के अनुरूप आर्थिक विकास एवं उन्नत जीवन स्तर की प्राप्ति की आकांक्षा की जाती है, इसके लिये शासकीय, अर्द्धशासकीय, सामाजिक एवं निजी संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विकास योजना में ।	राज्य के सभी नागरिक अर्थात आमजन	मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग
27.	बिहार राज्य जल पर्षद से संबंधित मामले	बिहार राज्य जल पर्षद (विघटित) सम्प्रति बुडको राज्य की कार्यान्वयन एजेंसी है जिसके माध्यम से समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा पेयजल, पथ एवं नाला, स्टार्म वाटर ड्रेनेज, पार्क, मोक्षधाम/विधुत शव दाहगृह योजनाएं कार्यान्वित की जाती है।	राज्य के सभी नागरिक अर्थात आमजन	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद
28.	गंगा स्वच्छता	योजनान्तर्गत गंगा नहीं को प्रदूषण से मुक्त कराने हेतु	राज्य के सभी नागरिक अर्थात आमजन	सहायक निदेशक,

		गंगा नदी एवं गंगा की सहायक नदियों के तट पर अवस्थित शहरों के सिवरेज का शोधन किया जाता है।		नगर विकास एवं आवास विभाग
29.	BUIDCO द्वारा कार्यान्वित योजनाओं से संबंधित परिवाद	बिहार राज्य जल पर्षद (विघटित) सम्प्रति बुडको राज्य की कार्यान्वयन एजेंसी है जिसके माध्यम से समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा पेयजल, पथ एवं नाला, स्टार्म वाटर ड्रेनेज, पार्क, मोक्षधाम/विधुत शव दाहगृह योजनाएं कार्यान्वित की जाती है।	राज्य के सभी नागरिक अर्थात आमजन	प्रबंध निदेशक, BUIDCO
30.	चलचित्र प्रदर्शन	यह योजना समाप्त हो चुकी है।		